

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम— Contractual Staff “FP Counsellors”

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष— A.8.1

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या : A.8.1.7

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

बिहार राज्य में सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले रोगियों एवं संस्थागत प्रसव की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है। इस परिस्थिति में परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत वांछित उपलब्धि की प्राप्ति हेतु FRU , मेडिकल कॉलेज एवं पूर्व से चिन्हित तीन अस्पतालों पर “FP Counsellor” का नियुक्ति करने प्रावधान किया गया है। इनके माध्यम से संस्थान में आने वाले रोगियों एवं संस्थागत प्रसव लाभार्थी को एक बच्चा जन्म के पश्चात् कॉपर-टी तथा दो बच्चों वाले लाभार्थी को बन्ध्याकरण ऑपरेशन करवाने के लिए प्रेरित करवाने का उद्देश्य है। साथ ही ये “FP Counsellor” नवविवाहित दम्पतियों को भी परिवार नियोजन के साधनों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवायें। यह परिवार कल्याण कार्यक्रम के वांछित उपलब्धि प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी।

इकाई राशि (रू० में)—15000/- prt month for FRU/Medical College/Pre Identified Hospital

वित्तीय दिशा निर्देशन—

FP Counsellors की नियुक्ति की प्रक्रिया राज्य स्तर पर किया जायेगा। पत्र के माध्यम से सभी जिलों को इस संबंध में बाद में विस्तृत दिशा-निर्देश उपलब्ध कराया दिया जायेगा।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का नाम — डॉ० ए. के. शाही, /सुबोध जायसवाल
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का फोन नं० : 9470003017, 9431005971



